कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

UTTARAKHAND
Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक /10एल0ए0 दिनांक / /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी के पत्र संख्या 904/FP/Uk/RoAD/9786/2015 दिनांक 12.09.2017,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0 पी0/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार द्वारा दी गई शर्तो की अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1:– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–नौली की सिविल भूमि का वन विभागा के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है, प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

2:– विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन0पी0वी0 की धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है।

3:– एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

4:– विभाग द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन–लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMP के खाते में जमा की गई है, मांग पत्र संलग्न है।

5:– सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

6:– प्रस्तावित मार्ग का जीओ रिफरेंस एवं डिजीटल मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण ऑन लाईन कर मूल में संलग्न किया जा रहा है।

7:– ग्राम ऐरवाड़ी एवं घंडियाल के ग्राम वासियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एफ॰आर॰ए॰) की छायाप्रति सत्यापित कर संलग्न की जा रही है।

8:– ग्राम खण्डूरा के ग्राम वासियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एफ॰आर॰ए॰) की छायाप्रति सत्यापित कर संलग्न की जा रही है।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः– **(1) NPV/वृक्षारोपण धनराषि जमा चालान की प्रति।**
(2) सिविल भूमि नामान्तरण आदेष की प्रति।
(3) NPV प्रमाण पत्र।
(4) रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण प्रमाण पत्र।

26/9/18

(अशोक कुमार नैथानी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांक /10एल0ए0 दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
कर्णप्रयाग

RTGS CHALLAN

BANK COPY

- NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-11-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6197860215
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Cham Chamoli
Amount(in Rs)	1686149/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Six Thousand One Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896197860215
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

y send a line of confirmation through

भारतीय स्टेट बैंक, कर्णप्रयाग-02385
पी०एफ०नं०-5990394
20 DEC 2017
Sandeep Singh
रोकर

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनाँक/Date...19.12.2017...

Received From... Ex. Engineer Rural Division. P.W.D. Karan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: 631490 Dt 19.12.17 ....से प्राप्त किया

बैंक/Bank: Corporation Bank

शाखा/Branch: FCS Bangalore

के पक्ष में/Favouring Uttranchal Cain...

भारतीय स्टेट बैंक, कर्णप्रयाग 02385 / 20 DEC 2017 / Sandeep Singh / मेकर / चेकर

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: C O R P 0 0 0 0 6 3 3

खाता संख्या/Account No: 1 5 0 8 9 6 1 9 7 8 6 0 2 1 5

राशि (रुपये)/Amount Rs.	1686149 - -
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	—
योग /Total Rs.	1686149 - -

राशि/Rupees(in words): (Sixteen Lac Eighty Six thousand one hundred fourty Nine only)

SBIHR52017122000027824

मेकर Sandeep

1/1

015215

	UK/RC[illegible]/9786/2015 [illegible]onstruction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11	ROAD97862015215	6197860215	07 Sep 2017	**CA:** 734156/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 951993/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1686149/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Nov 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 14 Nov 2017 **Transaction Date** : 20 Dec 2017	Demand Letter Generated Challan

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1350 / 12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 26/09/ 2017।

2395/12LA
3-10-2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.449 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यूसीपी/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07–09–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार आवश्यक धनराशि का मांग पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:–

1. शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.898 है0 ग्राम खण्डूडा, ग्राम तलाई तल्ला व मल्ला, ग्राम नैल, ग्राम बांगड़ी, ग्राम कोल्सो सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,34,156.00 (रू0 सात लाख चौंतीस हजार एक सौ छप्पन) मात्र जमा की जानी है।

प्रत्यावर्तित भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु भूमि (है0)	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
1	2	3
2.898 है0	2,53,332.00	7,34,156.00

2. शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 9,51,993.00(रू नौ लाख इक्कावन हजार नौ सौ तिरानब्बे) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
V	0.3 (Open forest)	6,57,000.00	1.449	9,51,993.00

3. शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो, Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation करने की बचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide orginal hard copy of geo-referenced digital ma of the forest land for diversion and the land proposed for CA as uploaded in online portal.
7. State Govt. will provide original or attested hard copy of Viilage Level Commitee meeting proceeding of village Air wadi and Ghandiyal which is uploaded online with FRA certificate.
8. State Govt. will upload village level commitee meeting proceeding of villlage khandura online and also provide orginal/attasted hard copy.
9. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति हेतु दिये गये अन्य आवश्यक शर्त0 01 से शर्त सं0 10 का अनुपालन किये जाने की बचनवद्वता भी दी जानी है।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तो के अनुपालन की वचनबद्वता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन–लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पं0 2866/10LA दि0 10/10/2017
प्रतिलिपि सहा0 अभि0 (मु0) / अवर अभि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9-3/2018

— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0--08वीं / यू0सी0पी0 / 06 / 217 / 2016 / एफ0सी0 / 945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम नौली,** प0वृ0 थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–12 के खसरा सं0–126 रकवा 5.086 है0 मध्ये 2.898 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी--10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3179 / छब्बीस– 12 (2017–2018) गोपेश्वरः दिनांकः 3 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

2/3/18
जिलाधिकारी,
चमोली।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

P.T.O

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली रा० उप०नि० घाघली तह० कर्णप्रयाग
जिला चमोली

1	2 श्रेणी 10 (4) सिंचाई सरकारी से	3 नं० खसरा	4	5	
12	भीरा	2	7.248		आदेश श्रीमान् जिला अधिकारी महोदय (चमोली) के आदेश सं० 3179/छब्बीस-12 (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 3 मार्च 2018 के अनुसार ग्राम नौली के खाता सं० 12 के खसरा नं० 126 रकबा 5.086 मध्ये 2.898 हे० भूमि सिमली चुलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 11 से ग्राम बाणियास मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण की जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XIII(1)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में मुताबिक आदेश खतौनी में दर्ज किया 28.3.18 रा० उप०नि० घाघली
		71	0.553		
		78	0.013		
		81	0.010		
		126	5.086		
		241	0.065		
		312	0.029		
		325	0.008		
		375	0.060		
		413	0.018		
		450	0.030		
		613	0.024		
		617	0.083		
		622	0.014		
		646	0.020		
		693	0.373		
		704	0.039		
		799	0.095		
		19	13.996		

महोदय / NZA खतौनी नकल प्रस्तुत है कृपया

THAIV
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)
6.4.18

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

C.S.
10/04/2018
उप जिलाधिकारी

डिजिटल मैपः–सिमंली–चूलाकोट मोटर मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग

रेफरेन्स मैपः– सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

N

0 0.0125 0.025 0.05 0.075 0.1 Km

Scale-1:2,000

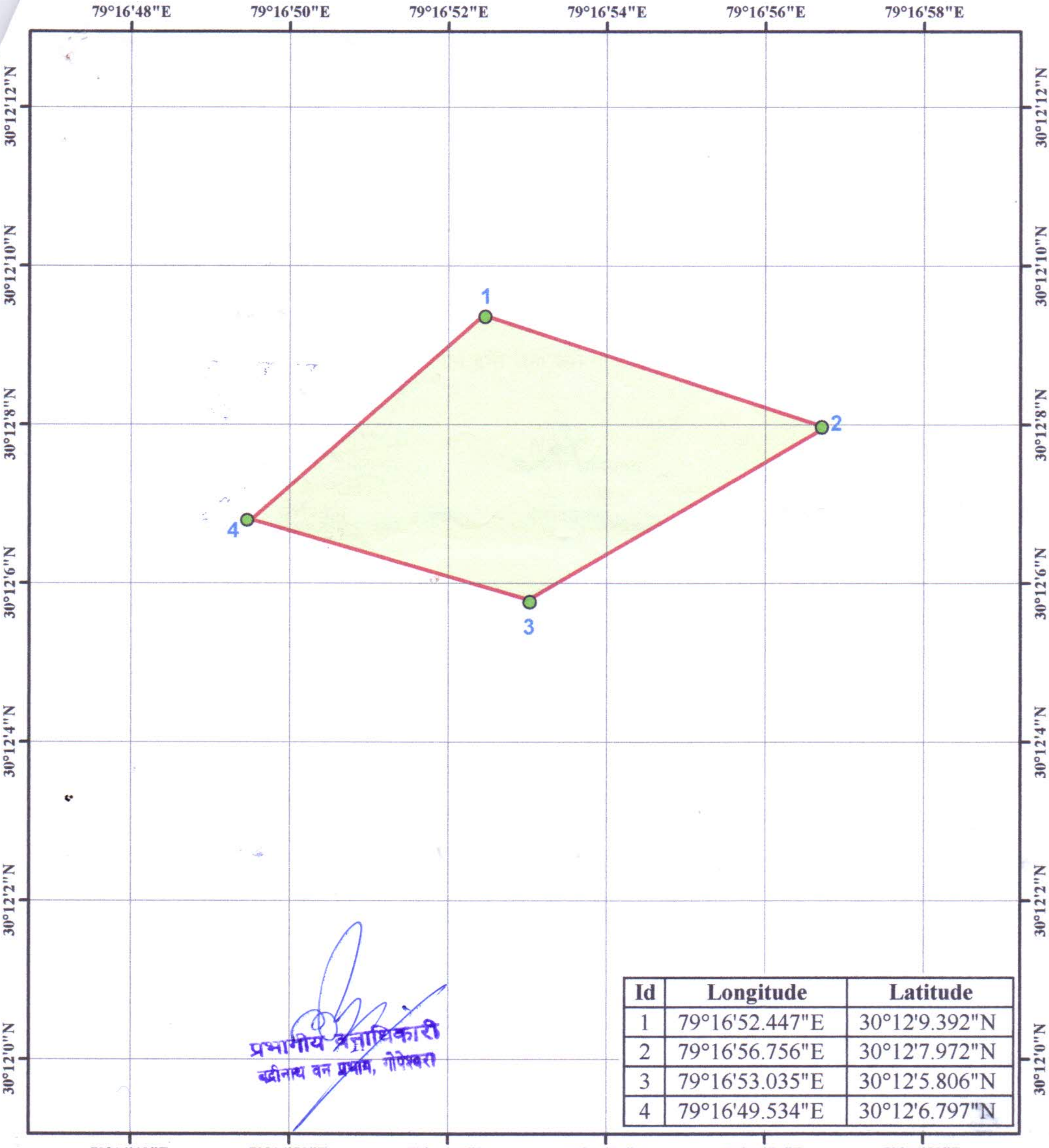

Id	Longitude	Latitude
1	79°16'52.447"E	30°12'9.392"N
2	79°16'56.756"E	30°12'7.972"N
3	79°16'53.035"E	30°12'5.806"N
4	79°16'49.534"E	30°12'6.797"N

Legend

- GPS coordinates
- Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभि...
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी॰ 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण में वन विभाग द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन
लो.नि.वि.

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी॰ 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग